

क्रमांक सं. <sup>175733</sup> /आरटीआई/ए-15/2019-20

04 अक्टूबर 2019

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत अपीलीय प्राधिकारी  
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी / बैंक)  
प्रथम अपील क्र.ए-15/2018-19

अपीलार्थी : सुश्री रमा  
एम आई जी 17, फेस II, दयानंद विहार, कल्याणपुर, कानपुर-208017(उ.प्र.)

निर्णय

प्रस्तावना :

सुश्री रमा, अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आवेदन पत्र दिनांक 25 जुलाई 2019 द्वारा सिडबी द्वारा "TCOs" में बेची गई अंशधारिता के बारे में जानकारी चाही था। केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा 28 अगस्त 2019 के आदेश सं. 2710 द्वारा उक्त आवेदन पत्र का निस्तारण किया गया। उत्तर से संतुष्ट न होने की दशा में अपीलार्थी ने दिनांक 05 सितंबर 2019 की यह अपील प्रस्तुत की है जो प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को 11 सितंबर 2019 को प्राप्त हुई है।

मैंने अपीलार्थी द्वारा प्रेषित आवेदन पत्र, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के दिनांक 28 अगस्त 2019 के आदेश सं. 2710, एवं अपील का भलीभाँति अवलोकन किया है। मैंने केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के निर्णय द्वारा प्रदान जानकारी का भी अवलोकन किया है जो स्वतः स्पष्ट है।

अपीलार्थी ने अपनी अपील में निम्नलिखित अनुसार उत्तरों से संतुष्टि जाहिर नहीं की है:-

बैंक हिन्दी में पत्राचार का स्वागत करता है।

**भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक**

"सिडबी टावर", 15, अशोक मार्ग, लखनऊ - 226 001. दूरभाष: +91 522 4259700, फैक्स: +91 522 2288459

**SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA**

"SIDBI Tower", 15, Ashok Marg, Lucknow-226 001, Tel. : +91 522 4259700, Fax : +91 522 2288459

**Toll Free No.: 1800 22 6753**

www.sidbi.in | www.sidbistartupmitra.in | www.udyamimitra.in

 @sidbiofficial  SIDBIOfficial

1. प्रश्न संख्या 4 में मेरे द्वारा आमंत्रित निविदा की प्रतियों की कापी प्राप्त करने के लिए आवश्यक शुल्क जानना चाहा था, परंतु मुझे इसका जवाब नहीं दिया गया।
2. प्रश्न संख्या 5 में मुझे केवल अंतिम खरीदार का नाम बता दिया गया तथा अंतिम खरीदार का पूर्ण पता नहीं बताया गया तथा यह भी नहीं बताया गया कि किस किस अंतिम खरीददार द्वारा कब-कब, कितनी-कितनी धनराशि दिनांकवार दी गई(यह जवाब TCO वार मांगा गया था तथा दिनांक वार मांगा गया था)।

**निर्णय :**

मेरे विचार से केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा, यदि उपलब्ध हो, तो निम्नलिखित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध करवाई जा सकती है:-

1. सिडबी द्वारा पिछले आठ वर्षों में "TCO" में अंशधारिता बेचने की प्रक्रिया में प्रत्येक बार आमंत्रित निविदा की प्रतियाँ उपलब्ध करवाने के लिए कितना शुल्क देय होगा।
2. अंतिम खरीदारों (जिनको अंशधारिताएँ स्थानांतरित हुई हैं) का नाम व पता।

सूचना का अधिकार तंत्र में उस जानकारी को उपलब्ध करवाना होता है जो सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों में छूट प्राप्त नहीं है। अतः इस अपील का निपटान किया जाता है।

निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी को प्रेषित की जाए।

*जी. सम्पत कुमार*

[जी सम्पत कुमार]

मुख्य महाप्रबंधक तथा प्रथम अपीलीय प्राधिकारी